राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ 27(80)ग्रा.वि–5/2011–12/2582 जयपुर, दिनांक 19.8.11

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त ।

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त ।

विषयः–मुख्यमंत्री बी.पी.एल. ग्रामीण आवास योजना के तहत ऋण अवमुक्ति पर ब्याज भुगतान के संबंध में ।
संदर्भः–हडको जयपुर के पत्र क्रमांकः– हडको/जयपुर/2011/एस.बी./2704 दिनांक 8.8.2011 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि हडको द्वारा जुलाई एवं अगस्त 2011 में मुख्यमंत्री बी.पी.एल. ग्रामीण आवास योजना के तहत विभिन्न जिला परिषदों को 49934.87 लाख रूपये का ऋण अवमुक्त किया गया है । जिसके ब्याज का भुगतान दिनांक 30.8.2011 तक किया जाना है । इस विभाग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 2589 दिनांक 19.8.2011 के द्वारा जिला परिषदों को पूर्व में उपलब्ध कराये गये अनुदान के अतिरिक्त राशि रूपये 480.36 लाख अनुदान की स्वीकृति जारी की गई है ।

इसके क्रम में वित्त (आय–व्ययक) विभाग की स्वीकृति क्रमांक प.4 (235)वित्त 1(1)आ.व्यय/2010/253 दिनांक 19.8.2011 के द्वारा उक्त राशि को संबंधित जिला परिषदों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी की है । इस अनुदान राशि का उपयोग जिला परिषदों द्वारा हडको से लिए गये ऋण के ब्याज के भुगतान के लिये किया जावे एवं तत्पश्चात उपलब्ध राशि (यदि कोई हो) का उपयोग निर्बन्ध राशि उपयोग के लिये जारी मार्ग दर्शिका में वर्णित कार्यो के लिये किया जा सकता है ।

अतः आप दिनांक 30.8.2011 तक आवश्यक रूप से हडको से लिये गये ऋण के ब्याज का भुगतान अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार गणना की जांच कर किया जाना सुनिश्चित करें । **यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी सहित सभी की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी ।**

**अति. मुख्य सचिव**

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, बजट, वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
2. निदेशक एवं कोष एवं लेखा को भेजकर लेख है कि उक्त राशि वित्त (बजट) विभाग की स्वीकृतिनुसार तत्काल संबंधित जिला परिषदों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरित करने एवं चैक पारित करने हेतु संबंधित कोषाधिकारियों को निर्देशित करें ।
3. कोषाधिकारी समस्त राजस्थान ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी जिला परिषद समस्त ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास अनुभाग जयपुर ।
6. सांख्यिकी/अंक मिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली ।

15/8/11

शासन सचिव एवं आयुक्त